सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 639 राँची, गुरुवार, 9 भाद्र, 1938 (श०)

31 अगस्त, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

22 अगस्त, 2017

संख्या- 01/नीति निर्धारण-10/2016/न०वि०आ०-5421-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा-18 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से अयोग्य करने हेतु, झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-**

1.1 यह नियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017' कही जायेगी ।

1.2 इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।

1.3 यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषाएँ:-**

2.1 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011

2.2 'धारा' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ।

2.3 'नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विषेश पदाधिकारी' से अभिप्रेत है, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत उक्त स्तर के पदाधिकारी ।

2.4 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार ।

2.5 'निर्वाचित प्रतिनिधि' से अभिप्रेत है, महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद, जिन्हें लोक सेवक की परिधि में समझा जायेगा ।

2.6 'प्राधिकृत स्त्रोत' से अभिप्रेत है, किसी परिवाद, आवेदन या सूचना समपर्ण से संबंधित व्यक्ति या प्राधिकार ।

2.7 'विभाग' से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड ।

2.8 'भ्रष्ट आचरण' से अभिप्रेत है, जो पूर्ण निष्ठा नहीं रखता हो, कर्त्तव्यनिष्ठ न हो एवं ऐसा आचरण करता हो, जो किसी लोक सेवक के लिए अशोभनीय हो ।

3. **प्रावधान:-** शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि को निम्नांकित कारणों से अपने पद से अयोग्य किया जा सकता है :-

3.1 भारत का नागरिक नहीं रहा हो;

3.2 राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए अयोग्य हो गया हो;

3.3 केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो;

3.4 किसी ऐसे संस्थान में सेवारत हो, जिसे केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता मिलती हो;

3.5 किसी सक्षम न्यायालय से न्याय निर्णीत विकृत चित्त घोषित हो गया हो;

3.6 दिवालिया, अधिनिर्णीत होने हेतु आवेदन किया हो अथवा अधिनिर्णीत किया गया हो;

3.7 लोक सेवा हेतु अयोग्य करार दिया गया हो;

3.8 राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी मामले में छः महीने से अधिक कारावास में रहा हो, कारावास अथवा किसी आपराधिक वाद का अभियुक्त होने के कारण छः माह से फरार हो;

3.9 किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकार का सदस्य होने के अयोग्य हो;

3.10 नगरपालिका के अधीन वेतनभोगी हो या लाभ का पद धारण करता हो;

3.11 भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो;

3.12 जिस वर्ष निर्वाचन हुआ हो, उसके पूर्ववर्ती वर्ष में नगरपालिका का बकायेदार हो;

3.13 यदि वह अपने कर्त्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इंकार करता हो या जानबूझकर उपेक्षा करता हो अथवा उसमे निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता हो, अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाए अथवा अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो;

3.14 अगर दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि के पश्चात् उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हों;

3.15 यदि वह नगरपालिका की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा हो ।

3.16 यदि शहरी स्थानीय निकाय का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि, इस नियमावली के प्रावधानों के तहत अंतिम रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो वह भविष्य में राज्य के किसी शहरी स्थानीय निकाय से निर्वाचन का पात्र नहीं होगा ।

4. **प्रक्रिया:-** शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जायेगा:-

4.1 यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नियम-(3) में विनिर्दिष्ट शर्त्तों का उल्लंधन करता हो, तो इस संबंध में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/ विषेश पदाधिकारी द्वारा लिखित अनुशंसा किये जाने पर, संबंधित प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी ।

4.2 कंडिका-3 में विनिर्दिष्ट शर्त्तों का उल्लंधन करने पर, किसी अन्य प्राधिकृत स्त्रोत से अनुशंसा/सूचना प्राप्त होने पर प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने के सन्दर्भ में राज्य सरकार संज्ञान ले सकेगी ।

4.3 किसी परिवाद/शिकायत से प्राप्त सूचना की ऐसे परिवादकर्त्ता/शिकायतकर्त्ता के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से सम्पुष्टि की अनिवार्यता होगी ।

उपर्युक्त क्रम में जाँच के बाद यदि यह पाया जाता है कि संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप असत्य हैं, तो ऐसी स्थिति में जाँच की कार्रवाई किए जाने के क्रम में व्यय की गई समस्त राशि का आकलन करते हुए, ऐसी राशि की वसूली संबंधित परिवादकर्त्ता/शिकायतकर्त्ता से लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में की जा सकेगी ।

4.4 प्राप्त अनुशंसा/सूचना के परिप्रेक्ष्य में नियम-(3) में विनिर्दिष्ट शर्त्तों के आलोक में मामले की गुण-दोषों का परीक्षण विभागीय स्तर पर किया जायेगा ।

4.5 विभागीय समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने पर, संबंधित प्रतिनिधि को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत बचाव-बयान प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

4.6 प्राप्त बचाव-बयान की विभागीय समीक्षोपरान्त, यदि यह पाया जाता है कि संबंधित प्रतिनिधि के विरूद्ध गठित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जो उनके पद धारित करने के उपयुक्त नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में इस मामले को नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर गठित जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

4.7 संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव-बयान की सुनवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर एक जाँच समिति का गठन किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा :-

(क) जाँच पदाधिकारी - संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का पदाधिकारी,

(ख) प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी - अवर सचिव से अन्यून स्तर का पदाधिकारी अथवा संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मनोनीत राजपत्रित पदाधिकारी।

4.8 जाँच समिति, आरोपित निर्वाचित प्रतिनिधि के विरूद्ध गठित आरोप के आलोक में आरोपित प्रतिनिधि को आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की तालिका संलग्न करते हुए, नोटिस जारी करेगी।

4.9 जाँच के विभिन्न कारणों को पूरा करने के लिए 45 दिनों की निम्नांकित समय सीमा निर्धारित की जाती है :-

क्र०सं०	**चरणों का निर्धारण**	**अधिकतम समय सीमा**
(I)	जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की तालिका तैयार करना।	10 दिन
(II)	आरोपित प्रतिनिधि को नोटिस जारी करना।	05 दिन
(III)	बचाव-बयान प्राप्त करने हेतु समय का निर्धारण।	10 दिन
(IV)	सुनवाई एवं यदि आवश्यक हो, तो गवाहों का प्रतिपरीक्षण।	15 दिन
(V)	प्रतिवेदन का अंकन।	05 दिन

4.10 उक्त निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन आवश्यक होगा एवं इस संबंध में जिस स्तर पर जाँच की कार्रवाई संचालित करने में विलम्ब किया जाता है, उक्त स्तर के पदाधिकारी विलम्ब हेतु दोषी माने जायेंगे तथा उनके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी ।

4.11 यदि आरोपित निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा बचाव-बयान समर्पित करने में ढुलमुल रवैया/ असहयोगात्मक रवैया अपनाया जाता हो तथा नियम-4.9 में यथानिर्धारित समय-अवधि के भीतर अपना बचाव-बयान समर्पित नहीं किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में एकतरफा सुनवाई करते हुए, जाँच पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा ।

4.12 जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग के द्वारा जाँच समिति की अनुशंसा की समीक्षोपरान्त अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

4.13 जाँच समिति से प्राप्त अनुशंसा विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होगी ।
परंतु यह कि जाँच प्रतिवेदन की गुण-दोषों की समीक्षोपरान्त, यदि विभाग जाँच समिति की अनुशंसा से सहमत नहीं होता है, तो इस संबंध में असहमति से संबंधित विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए, विभागीय निर्णय संसूचित करेगा ।

4.14 किसी प्रतिनिधि की निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए, यथाशीघ्र ऐसे मामलों का विनिश्चय करेगा ।

5. **अपील:-** संबंधित प्रतिनिधि उनके विरूद्ध संसूचित निर्णय के संबंध में अपील कर सकेगा ।

5.1 निर्वाचित प्रतिनिधि के विरूद्ध लिए गए निर्णय से संबंधित अपील अभ्यावेदन नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से मंत्रिपरिषद, झारखण्ड के समक्ष विभागीय मंतव्य के साथ अंतिम निर्णय हेतु समर्पित किया जायेगा ।

5.2 कोई अपील तभी स्वीकार की जायेगी, जब अपीलार्थी को आदेश निर्गत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर की गई हो ।

5.3 अपील पर विचारण 15 दिनों के अन्दर की जायेगी ।

6. **निरसन एवं व्यावृत्ति:-** इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इससे संबंधित लिए गये निर्णय के संबंध में यह कहा जायेगा कि सभी निर्णय इस नियम के अध्यधीन लिये गये हैं ।

7. **शंकाओं का निराकरण:-** यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले में निराकरण का अधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग को होगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 639--200